8/1/26 वकील फरीकैन उप० । दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण
खारिज किया जाता है। डिक्री [illegible] मुताबिक से लिखवाया
जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। [illegible] मुताबिक कोर्ट
[illegible] के कम [illegible] दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:05:52 IST
Reason: SelfAttested

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

## डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

### अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

### उनवान

मंदिर श्री गोविंद देव जी विराजमान अनाज मण्डी, करौली जरिये प्रबंधक—

1. राजजीलाल पुत्र रतन लाल
2. कैलाश चन्द पुत्र भगवती लाल
3. दिनेश कुमार बंसल पुत्र रामदयाल
4. मदनमोहन गुप्ता पुत्र नानगराम
5. राधेश्याम अग्रवाल पुत्र द्वारिका प्रसाद अग्रवाल
6. तेजनारायण अग्रवाल पुत्र श्री हजारीलाल अग्रवाल
7. राधेश्याम अग्रवाल पुत्र द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जाति महाजन अग्रवाल निवासी करौली
8. निरीक्षक देवस्थान विभाग, करौली

—वादीगण

### बनाम

1. सरवन
2. रामभरोसी (फौत) (हजफ)

} पिसरान बुद्वा जाति धोबी

3. मनफूल पुत्र नानगा माली (फौत)
   - 3/1. नन्दा पुत्र छोटेलाल
   - 3/2. रामेश्वर पुत्र छोटेलाल
   - 3/3. सुशीला पुत्री छोटेलाल
   - 3/4. लक्खी पुत्र छोटेलाल
   - 3/5. मोहन पुत्र छोटेलाल
   - 3/6. मीरा पुत्री छोटेलाल
4. तहसीलदार, तहसील करौली

—प्रतिवादीगण

### दावा घोषणा व दखल

**मुकदमा नं. 9/18**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री रामजीलाल अग्रवाल, एडवोकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री अबरार अहमद खां, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज .......................................... मुबलिग ........................................ बाबत ............................................. खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह .....................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .............................. .......... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक ......8/1/26............को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meen
Date: 2026.05.04 13:05:52 IST
Reason: SelfAttested

| मुदई | रूपया | पैसे | मुद्दायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अ[illegible] | | |
| स्टाम्प बजह सबूत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

उपखण्ड अधिकारी
करौली

नोटः—इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

## पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0ः—9 / 18 तारीख रजुः—28.5.18

**उनवान**

मंदिर श्री गोविंद देव जी विराजमान अनाज मण्डी, करौली जरिये प्रबंधक—

1. राजजीलाल पुत्र रतन लाल
2. कैलाश चन्द पुत्र भगवती लाल
3. दिनेश कुमार बंसल पुत्र रामदयाल
4. मदनमोहन गुप्ता पुत्र नानगराम
5. राधेश्याम अग्रवाल पुत्र द्वारिका प्रसाद अग्रवाल
6. तेजनारायण अग्रवाल पुत्र श्री हजारीलाल अग्रवाल
7. राधेश्याम अग्रवाल पुत्र द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जाति महाजन अग्रवाल निवासी करौली
8. निरीक्षक देवस्थान विभाग, करौली

—वादीगण

**बनाम**

1. सरवन
2. रामभरोसी (फौत) (हजफ)

(1–2) पिसरान बुद्दा जाति धोबी

3. मनफूल पुत्र नानगा माली (फौत)
   - 3 / 1. नन्दा पुत्र छोटेलाल
   - 3 / 2. रामेश्वर पुत्र छोटेलाल
   - 3 / 3. सुशीला पुत्री छोटेलाल
   - 3 / 4. लक्खी पुत्र छोटेलाल
   - 3 / 5. मोहन पुत्र छोटेलाल
   - 3 / 6. मीरा पुत्री छोटेलाल
4. तहसीलदार, तहसील करौली

—प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meen
Date: 2026.05.04 13:05:52 IST
Reason: SelfAttested

## दावा घोषणा व दखल

**—::निर्णय::—** दिनांक :— 8/1/26

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी परपीच्यूल माईनर है तथा रजिस्टर्ड है और वादी की ओर से प्रार्थीगण को प्रबन्धक एवं दर्शनार्थी होने के नाते दावा करने का पूर्णअधिकारी है और वादी के सभी हितो की रक्षा करने का पूर्ण कर्तव्य है। वाके कस्बा करौली वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 5442 रकवा 2 वीघा 49 विस्वा बारानी 5443 रकवा 3 वीघा 6 विस्वा वजह दोयम, 5444 रकवा 6 वीघा 10 विस्वा डहरी दोयम, 5446 रकवा 7 वीघा 5 विस्वा वंजड अ. 5447 रकवा 5 वीघा 5 विस्वा बारानी सोयम, 5449 12 वी. 2 वि. वंजड दोयम, एवं 5451 रकवा 6 वीघा 4 विस्वा वंजड दोयम कुल किता 7 रकवा 43 वीघा 11 विस्वा जिनके साविक नं0 क्रमशः खसरा नं0 5442 लगायत 5444, 5446, 5449 एवं का 346 एवं 5447 का 328/2, तथा 5451 का 346/4682/2 स्थित है। ये जमीन वादी ठाकुरजी को रियासत के जमाने से जरिये पटटा दी गई है जिस पर इस्तकमुरारहक वादी को प्राप्त है तथा समय—समय पर साल दर साल भेज पर काश्त कराते रहते है जिससे वादी के सेवापूजा व राग भोग का कार्य होता है। वादी की ओर से प्रतिवादी नं0 3 मनफूल को लालाना भेज पर उक्त विवादित भूमि को काश्त के लिये बता रखी है प्रतिवादी ने गत सेटलमेंट के समय काश्त करने के कारण दर बिनाय बदयान्ती वादी की बगैर मरजी के वादी से छुपा कर कागजात पटवार में सेटलमेंट वालों से [illegible] नाम करा लिये जो गैर कानूनी है और निरस्त होने योग्य है। [illegible] 10.3.91 को पटवारी हल्का द्वारा जानकारी देने पर मालूम [illegible] कि उक्त विवादित जमीन मुताबिक वाद पत्र नं0 1 में से खसरा [illegible] 5446 रकवा 6 वीघा 5 विस्वा जिसका साविक नं0 346 है का बेचान दिनांक 21.2.91 को प्रतिवादी नं0 1 व 2 के हक में बगैर वादी की मरजी के बेच कर वयनामा करा दिया जो बोयड एवं प्रभावहीन है और गैर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meen
Date: 2026.05.04 13:05:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

कानूनी होने के आधार पर वादी के हकूको पर बेअसर है और निरस्त होने योग्य है। इस संबंध में प्रति. नं0 1 लगायत 3 से दिनांक 15.3.91 को कहन सुन की तो प्रतिवादी नं0 3 ने कहा कि अभी बाकी जमीन का बेचान और करेंगे आप पर जो भी किया जाय करें अदालत खुली पडी है इस प्रकार के प्रतिवादीगण के अनाधिकृत कृत्य से वादी के हकूको पर भारी आघात है और उक्त वयनामा के आधार पर प्रतिवादी नं0 1 व 2 अपने नाम नामान्तकरण कराने पर उतारू है उक्त आराजीयात में खडे वृक्षों को काटने पर उतारू हो रहे है और निर्माण करने के प्रयास में है। और इसके लिये दीगर रहने वय करने पर भी आमदा है। इस सब कृत्यों से वादी हको पर आघात है और राग–भोग में व्यवधान होगा इसलिये वादी मुताबिक पटटा व साविक खातेदारी के आधार पर उक्त विवादित आराजीयात की घोषणा व पटवार कागजात में इन्द्राज दुरूस्ती वादी के नाम कराने का मुश्तहक है। वादी प्रतिवादीगण को अपने खातेदारी की उक्त आराजीयात पर काबिज रखना नही चाहता क्योंकि उक्त अवैध बेचान व भविष्य में बेचान के कारण वादी ने प्रतिवादीगण से कब्जा वापिस माकने की दिनांक 15.3.91 को कही तो साफ इन्कार हो गये। इसलिये प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात पर ट्रेसपासर काबिज होने से काबिल बेदखली है। विनाय दावा दिनांक 10.3.91 को प्रतिवादीगण की फर्जीयत की जानकारी मालूम होने पर व दिनांक 15.3.91 को वादी के हकूको से इन्कार होने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुआ दावा अन्दर मियाद है व काबिल समाअत अदालत हाजा है। अंत में दावा वादी डिक्री किये जो का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meen
Date: 2026.05.04 13:05:52 IST
Reason: SelfAttested

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 व 3 को बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजीयात वादीयान को पटटे पर नही मिली ना इस्तमुरार वादीयान को प्राप्त है। वादीयान ने इस मद में सालदर साल भेज पर काश्त कराने व राजभोग का कार्य होना कतई गलत अंकित किय है। उक्त

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

आराजीयात कभी भी वादीयान के खाते व कब्जे में नही रही है। उक्त आराजीयात पर कभी भी वादीयान का कब्जा नही रहा है। सभी तथ्य गलत व झूठे अंकित किये है। मनफूल से वादीयान ने कभी भी कोई आराजीयात भेज पर काश्त नही कराई है ना उसने कभी भेज पर वादीयान की कोई आराजीयात काश्त पर की है। वास्तविकता यह है कि आराजीयात हमेशा से मनफूल की खातेदारी व कब्जे काश्त में रही है सेटलमेंट में कोई गलत इन्द्राज मनफूल की खातेदारी व कब्जे काश्त में रही है सेटलमेंट में कोई गलत इन्द्राज मनफूल द्वारा नही कराये गये। उक्त आराजी सेटलमेंट से पूर्व व बाद में मनफूल की खातेदारी व कब्जे में रही है। आराजी ख.न. 5446 रकवा 7 वीघा 5 विस्वा जो उसके खाते व कब्जे की थी को प्रतिवादी सं. 1 व 2 को रजिस्टर्ड वयनामा के विक्रय कर कब्जा संभलवा दिया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम आराजी ख.न. 5446 का नामान्तकरण भी दिनांक 29/3/91 को स्वीकार किया जा चुका है तथा रेवेन्यू रिकार्ड में उसके इन्द्राज किया जा चुका है योम खरीद से ही प्रतिवादी सं. 1 व 2 उक्त आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है आराजी जिस समय प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने खरीद की बंजड थी जिस पर लाखों रूप्ये खर्चे कर प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने उसे काबिल काश्त बनाया है उक्त आराजी वादीयान के नाम कभी नही रही है वादीयान का दावा इस आधार पर भी चलने योग्य नही है वादीयान ने प्रतिवादीगण से कह सुन करना व धमकी देना कतई गलत है मात्र वादकारण पैदा करने हेतु दर्ज किया है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गये:—

1. आया विवादित आराजीयात का वादी खातेदार काश्तकार है।

——वादी

2. आया वादी विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकारी की घोषणा कराने का अधिकारी है।

——वादी

3. आया वादी प्रतिवादीगण से बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त कराने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.04 13:05:52 IST
Reason: SelfAttested

—वादी

4. आया प्रतिवादीगण विधिक केता है इसलिए दावा चलने योग्य नही है।

—प्रतिवादीगण

5. आया प्रतिवादी नंबर 1 व 2 से पूर्व मनफूल विवादित आराजीयात पर 50 साल पूर्व से काबिज है इसलिए दावा चलने योग्य नहीं है।

—प्रतिवादीगण

6. दादरसी :—

वाद विवाद्यक बिन्दू वादीगण साक्ष्य ली गई। वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू—1 मदनमोहन गुप्ता के बयान लेखबद्व कराये एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमांबदी संवत 2010—13 प्रदर्श—1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श—2, जमाबंदी संवत 2044—47 प्रदर्श—3, नकल वयनामा दिनांक 21.02.91 प्रदर्श—4 एवं मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श—5 पेश कर प्रदर्शित कराये है। साक्ष्यवादी बंद कर समाप्त की गई।

साक्ष्य प्रतिवादी में डीब्ल्यू—1 रामभरोसी, डीडब्ल्यू—2 दुर्गा, डीडब्लयू—3 रामेश्वर, डीडब्ल्यू—4 मोहन, डीडब्ल्यू—5 नन्दा के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में वसीयतनामा दिनांक 29.12.97 प्रदर्श ए—1 पेश कर प्रदर्शित कराये है। साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त कर बंद की गई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस में कथन है कि वादी परपीच्यूल माईनर है तथा रजिस्टर्ड है और वादी की ओर से प्रार्थीगण को प्रबन्धक एवं दर्शनार्थी होने के नाते दावा करने का पूर्णअधिकारी है और वादी के सभी हितो की रक्षा करने का पूर्ण कर्तव्य है। वाके कस्बा करौली वादी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 5442 रकवा 2 बीघा [illegible] विस्वा बारानी 5443 रकवा 3 वीघा 6 विस्वा वजह [illegible] 5444 रकवा [illegible] वीघा 10 विस्वा डहरी दोयम, 5446 रकवा 7 वीघा 5 विस्वा वंजड [illegible] 5447 रकवा 5 वीघा 5 विस्वा बारानी सोयम, 5449 12 वी. 2 वि. वंजड दोयम, एवं 5451 रकवा 6 वीघा 4 विस्वा वंजड दोयम कुल किता 7 रकवा 43 वीघा 11 विस्वा जिनके साविक नं0 क्रमशः खसरा नं0 5442 लगायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2026.05.04 13:05:52
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

5444, 5446, 5449 एवं का 346 एवं 5447 का 328/2, तथा 5451 का 346/4682/2 स्थित है। ये जमीन वादी ठाकुरजी को रियासत के जमाने से जरिये पटटा दी गई है जिस पर इस्तकमुरारहक वादी को प्राप्त है तथा समयमय पर साल दर साल भेज पर काश्त कराते रहते है जिससे वादी के सेवापूजा व राग भोग का कार्य होता है। वादी की ओर से प्रतिवादी नं0 3 मनफूल को लालाना भेज पर उक्त विवादित भूमि को काश्त के लिये बता रखी है प्रतिवादी ने गत सेटलमेंट के समय काश्त करने के कारण दर बिनाय बदयान्ती वादी की बगैर मरजी के वादी से छुपा कर कागजात पटवार में सेटलमेंट वालों से मिल कर गलत इन्द्राज अपने नाम करा लिये जो गैर कानूनी है और निरस्त होने योग्य है। दिनांक 10.3.91 को पटवारी हल्का द्वारा जानकारी देने पर मालूम हुआ कि उक्त विवादित जमीन मुताबिक वाद पत्र नं0 1 में से खसरा नं0 5446 रकवा 6 वीघा 5 विस्वा जिसका साविक नं0 346 है का बेचान दिनांक 21.2.91 को प्रतिवादी नं0 1 व 2 के हक में बगैर वादी की मरजी के बेच कर वयनामा करा दिया जो बोयड एवं प्रभावहीन है। और गैर कानूनी होने के आधार पर वादी के हकूको पर बेअसर है और निरस्त होने योग्य है। इस संबंध में प्रति. नं0 1 लगायत 3 से दिनांक 15.3.91 को कहन सुन की तो प्रतिवादी नं0 3 ने कहा कि अभी बाकी जमीन का बेचान और करेंगे आप पर जो भी किया जाय करें अदालत खुली पडी है इस प्रकार के प्रतिवादीगण के अनाधिकृत कृत्य से वादी के हकूको पर भारी आघात है और उक्त वयनामा के आधार पर प्रतिवादी नं0 1 व 2 अपने नाम नामान्तकरण कराने पर उतारू है उक्त आराजीयात में खडे वृक्षों को काटने पर उतारू हो रहे है और निर्माण करने के प्रयास में है। और इसके लिये दीगर रहने वय करने पर भी आमदा है। इस सब कृत्यों से वादी हको पर आघात है और राग–भोग व्यवधान होगा इसलिये वादी मुताबिक पटटा व साविक खातेदारी के आधार पर उक्त विवादित आराजीयात की घोषणा व पटवार कागजात में इन्द्राज दुरूस्ती वादी के नाम कराने का मुश्तहक है। वादी प्रतिवादीगण को अपने खातेदारी की उक्त आराजीयात पर काबिज रखना नही चाहता क्योंकि उक्त अवैध बेचान व भविष्य में बेचान के कारण वादी ने प्रतिवादीगण से कब्जा वापिस माकने की दिनांक 15.3.91 को कही तो साफ इन्कार हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2026.05.04 13:05:5
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

गये। इसलिये प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात पर ट्रेसपासर काबिज होने से काबिल बेदखली है। अंत दावा वादी डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादी का बहस में कथन है कि आराजीयात वादीयान को पटटे पर नही मिली ना इस्तमुरार वादीयान को प्राप्त है। वादीयान ने इस मद में सालदर साल भेज पर काश्त कराने व राजभोग का कार्य होना कतई गलत अंकित किया है। उक्त आराजीयात कभी भी वादीयान के खाते व कब्जे में नही रही है। उक्त आराजीयात पर कभी भी वादीयान का कब्जा नही रहा है। सभी तथ्य गलत व झूठे अंकित किये है। मनफूल से वादीयान ने कभी भी कोई आराजीयात भेज पर काश्त नही कराई है ना उसने कभी भेज पर वादीयान की कोई आराजीयात काश्त पर की है। वास्तविकता यह है कि आराजीयात हमेशा से मनफूल की खातेदारी व कब्जे काश्त में रही है सेटलमेंट में कोई गलत इन्द्राज मनफूल की खातेदारी व कब्जे काश्त में रही है सेटलमेंट में कोई गलत इन्द्राज मनफूल द्वारा नही कराये गये। उक्त आराजी सेटलमेंट से पूर्व व बाद में मनफूल की खातेदारी व कब्जे में रही है। आराजी ख.न. 5446 रकवा 7 वीघा 5 विस्वा जो उसके खाते व कब्जे की थी को प्रतिवादी सं. 1 व 2 को रजिस्टर्ड वयनामा के विक्रय कर कब्जा संभलवा दिया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम आराजी ख.न. 5446 का नामान्तकरण भी दिनांक 29/3/91 को स्वीकार किया जा चुका है तथा रेवेन्यू रिकार्ड में उसके इन्द्राज किया जा चुका है योम खरीद से ही प्रतिवादी सं. 1 व 2 उक्त आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है आराजी जिस समय प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने खरीद की बंजड थी जिस पर लाखों रूप्ये खर्चे कर प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने उसे काबिल काश्त बनाया है उक्त आराजी वादीयान के नाम कभी नही रही है वादीयान का दावा इस आधार पर भी चलने योग्य नहीं है वादी ने प्रतिवादीगण से कह सुन करना व धमकी देना कतई गलत है मात्र वादकारण पैदा करने हेतु दर्ज किया है। अंत दावा वादी खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2026.05.04 13:05:5
Reason: SelfAttested

बहस वकील वादी व प्रतिवादी का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व साक्ष्य का विवेचन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है। जो निम्न प्रकार हैः–

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने इस संबंध में नकल जमाबंदी संवत 2010–13 प्रदर्श–1 एवं नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, जमाबंदी संवत 2044–47 प्रदर्श–3, वयनामा दिनांक 21.02.91 प्रदर्श–4 प्रस्तुत किया है एवं मौखिक साक्ष्य में वादी मदनमोहन के बयान लेखबद्व कराये है। जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा वसीयतनाम प्रदर्श ए–1 दिनांक 29.12.97 जो मनफुल पुत्र नानगा द्वारा छोटेलाल पुत्र मनफुल के हक में पंजीयन कराया गया है एवं मौखिक साक्ष्य में डीडब्ल्यू–1 रामभरोसी, डीडब्ल्यू–2 दुर्गा, डीडब्ल्यू–3 रामेश्वर, डीडब्ल्यू–4 मोहन, डीडब्लयू–5 नन्दा के बयान लेखबद्व कराये है। वादी द्वारा भूमि अपने खुदकाश्त के होने के संबंध में कोई खसरा गिरदावरी संवत 2010–2014 तक पत्रावली में पेश नहीं की है। माफी सन् 1952 में जब्त हो चुकी है। माफी यथावत रखी गई हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है। कब्जा भूमि पर प्रतिवादीगण होना वादी का स्वीकृत है। वादी द्वारा अपने कब्जे के संबंध में किसी प्रकार की गिरदावरी किसी संवत की पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की है। वादी ने भूमि प्रतिवादीगण के नाम किसी सन् संवत में खातेदारी में दर्ज हुई यह अपने वादपत्र में दर्ज नहीं किया है। ना ही इस बाबत कोइ साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत की है। जमाबंदी संवत 2044–47 प्रदर्श–5 में भूमि प्रतिवादी नंबर 3 मनफुल की खातेदारी में दर्ज है और वयनामा दिनांक 21.2.91 में नामांतकरण नंबर 1130 दिनांक 29.3.91 से भूमि प्रतिवादी नंबर 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज हुई है। जो दायरी दावे से पूर्व दर्ज हुई है। इस प्रकार वादी भूमि को अपने खातेदारी व कब्जेकाश्त की साबित करने में असफल रहा है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादी के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:05
Reason: SelfAttested

विवाद्यक संख्या 2 को साबित करने का भार वादी पर है। इस संबंध में वादी द्वारा विवाद्यक संख्या 1 में दर्ज दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये है। वादी द्वारा भूमिअ पने खुदकाश्त खातेदारी की होने का कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे प्रकट होता है कि वादी संवत 2012 में वादग्रस्त भूमि का खुदकाश्त कब्जे में नहीं रहा है। इसलिए वादी वादग्रस्त भूमि भी अपने हक में खातेदारी घोषणा कराने का हकदार

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

नहीं है। वादी द्वारा यह वाद घोषणा व दखल का पेश किया गया है। किस दिवस को प्रतिवादीगण द्वारा भूमि पर कब्जा किया गया है एवं किस दिवस को भूमि प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज हुई है। वादी ने इस संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया है। बल्कि अपनी साक्ष्य जिरह में भूमि में 150 मकान बन गये हो तो मैने नहीं देखा यह बयान दिया है एवं यह भी बयान दिया है कि मनफुल इस जमीन को स्टेट टाईम से ही काश्त करता था। जिससे स्पष्ट है कि भूमि पर स्टेट टाईम से ही यानि सन् 1947 से पूर्व से ही प्रतिवादी मनफुल का कब्जा होना वादी का स्वीकृत है। वादी इस विवाद्यक को साबित करने में असफल रहा है। अतः विवाद्यक संख्या 2 वादी के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 3 को साबित करने का भार भी वादी पर है। वादी का अपनी साक्ष्य में स्वीकृत है कि प्रतिवादी मनफुल का कब्जा वादग्रस्त आराजी पर स्टेट टाईम से है। वादी द्वारा यह वाद दिनांक 31.07.91 को प्रस्तुत किया गया है। दखल प्राप्त करने की अवधि 12 वर्ष समाप्त हो चुकी है। वादी वादग्रस्त भूमि को अपनी खुदकाश्त की साबित करने में असफल रहा है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण से किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने का हकदार नहीं है। कब्जा भूमि पर प्रतिवादीगण होना वादी व प्रतिवादीगण साक्ष्य से स्वीकृत है। अतः विवाद्यक संख्या 3 वादी के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। इस संबंध में स्वंय वादी द्वारा वयनामा प्रदर्श–4 प्रस्तुत किया गया है। जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी नंबर 3 से भूमि दायरी दावा से पूर्व खरीद किया है और दायरी दावा से पूर्व प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के हक में जमाबंदी प्रदर्श–5 में खातेदारी इन्द्राज दर्ज हुए है। जो विधिक रूप से वयनामा के आधार पर दर्ज हुए है। जिससे प्रतिवादी नंबर 1 व 2 विधिक केता होना प्रकट होता है। प्रतिवादी नंबर 1 व 2 सदभावी केता है। अतः विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादीगण के पक्ष में वादी के विरूद्व तय कर निर्णित किये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2026.05.04 13:05:52
Reason: SelfAttested

विवाद्यक संख्या 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा डीडब्ल्यू–रामभरोसी, डीडब्ल्यू–2 दुर्गा, डीडब्लयु–3 रामेश्वर, डीडब्ल्यू–4 मोहन, डीडब्ल्यू–5 नन्दा ने भूमि पर संवत 2010–13 से पूर्व से कब्जा होना बताया है एवं स्वंय वादी मदनमोहन ने अपनी जिरह में प्रतिवादी मनफुल का कब्जा स्टेट टाईम से होना अपनी जिरह में माना है। जिससे प्रतिवादी मनफुल का भूमि पर 50 साल पूर्व से कब्जा होना वादी का स्वीकृत है। अतः विवाद्यक संख्या 5 प्रतिवादीगण के पक्ष में वादी के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 6 दादरसी है। विवाद्यक संख्या 1 ता 5 के विवेचन से वादी वादग्रस्त आराजी को अपनी खुदकाश्त भूमि एवं खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि साबित करने में असफल रहे है। इस प्रकार वादीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदारी घोषणा अपने हक में कराने एवं प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने हकदार नहीं है। माफी जागीर एवं पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत जब्त हो चुकी है। वादी ने माफी यथावत रखने का कोई आदेश एवं खुदकाश्त संबंधी कोई खसरा गिरदावरी पत्रावली में पेश नहीं की है। भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा स्टेट टाईम से होना वादी का अपनी साक्ष्य जिरह में स्वीकृत है। वादी वादग्रस्त भूमि की खातेदारी खुदकाश्त साबित करने में असफल रहा है एवं कब्जा साबित करने में भी असफल रहा है। वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के कब्जे में 12 साल की अवधि के बाद दखल का पेश किया गया है। जो म्याद बहार है। वादी कोई घोषणा खातेदारी एवं प्रतिवादीगण से दखल प्राप्त करने का हकदार नहीं है। दावा वादी म्याद बहार होने से एवं भूमि वादी के खुदकाश्त कब्जे की नहीं होने चलने योग्य नहीं है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

**निर्णय आज दिनांक ...8/1/26...... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।**

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Me
Date: 2026.05.04 13:05:52 IST
Reason: SelfAttested